



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग**

ई मेल : eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com

Phon, Fax : 01363244103

पत्रांक 543 / 19 सी०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2016-17

दिनांक 5 / 08 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पडेरगांव-पैरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित भूमि 0.350 है० सिविल भूमि 0.560 है० वन पंचायत भूमि 9.800 है० कुल वनभूमि 10.710 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन सम्बन्धित प्रस्ताव में अंकित त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 3920 / FP/UK/ROAD/1204/2016, दिनांक 27.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग द्वारा उपरोक्त अंकित प्रस्ताव भारत सरकार की Website www.forestclearance.nic.in पर दिनांक 31.12.2014 को Upload किया गया है। जिसकी प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/8961/2014 है।

दिनांक 01.08.2017 को आपके द्वारा विधिवत/सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में वांछित Online/ Offline Hard copy आपत्तियों का निराकरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	संलग्नक का क्रम संख्या	अभियुक्ति
1	प्रस्ताव में संलग्न बिना भरे प्रपत्रों को भरवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र भरवाकर प्रस्ताव में पेज नं० 4,7,8 पर संलग्न कर दिया गया है।
2	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र न्यूनतम भूमि होने के प्रमाण-पत्र तथा लैण्ड शेड्यूल के प्रपत्रों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र न्यूनतम भूमि होने के प्रमाण पत्र, लैण्ड शेड्यूल के प्रपत्रों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। पेज नं० 23,24,25 पर संलग्न है।
3	प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने फलस्वरूप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने फलस्वरूप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या व Recommendation संलग्न है।
4	प्रस्ताव में मानचित्रों को चस्पा किये जाने के स्थान पर खुले रूप में रखा गया है। अतः मानचित्रों को सही स्थान पर चस्पा किया जाय।	प्रस्ताव में मानचित्रों को पेज नं० 20,21,75,76 पर चस्पा कर संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव पडेरगांव से पैरी तक प्रस्तावित है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में रामणी से पैरी तक का उल्लेख है। अतः परियोजना के अनुसार नाम अंकित किया जाय।	प्रस्ताव पडेरगांव से पैरी तक प्रस्तावित है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में रामणी से पैरी तक का उल्लेख है। पडेरगांव पैरी कर दिया गया है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वर्तमान दर के अनुसार बनाकर पेज नं० 77 पर संलग्न कर दिया गया है।
7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रस्तावित स्थलों का क्षेत्रफल सहित नाम अंकित किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में प्रस्तावित स्थलों का क्षेत्रफल सहित नाम अंकित कर पेज नं० 78 पर संलग्न कर दिया गया है।
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीन स्थलों का चयन किया गया है, जबकि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो स्थलों का ही दिया गया है। अतः तीनों स्थलों का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीन स्थलों का चयन किया गया है, जबकि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दो स्थलों का ही दिया गया है। अतः तीनों स्थलों का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पेज नं० 76 पर संलग्न कर दिया गया है।
9	एन०पी०वी० प्रमाण-पत्र में ईको-क्लास एवं डेनसीटी का उल्लेख करते हुये एन०पी०वी० आंकलन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।	एन०पी०वी० प्रमाण-पत्र में ईको-क्लास एवं डेनसीटी का उल्लेख करते हुये एन०पी०वी० आंकलन प्रमाण-पत्र पेज नं० 110 व 111 पर संलग्न कर दिया गया है।
10	मक डिस्पोजल हेतु पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज प्रस्ताव में संलग्न करें।	मक डिस्पोजल हेतु विवरण एवं दस्तावेज प्रस्ताव में पेज नं० 80 से 102 तक संलग्न कर दिया गया है।



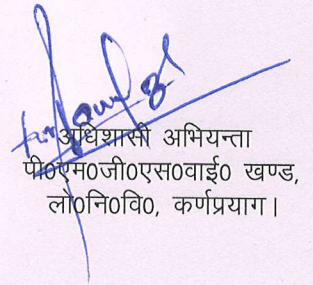
**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग**

ईमेल : eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com

Phon, Fax : 01363244103

11	एफ०आर०ए० के पूर्ण दस्तावेज प्रस्ताव में संलग्न करें।	एफ०आर०ए० के पूर्ण दस्तावेज प्रस्ताव में पेज नं० 36 पर संलग्न कर दिया गया है।
12	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में भरकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में भरकर प्रस्ताव में पेज नं० 45, 46 व 47 पर संलग्न कर दिया गया है।
13	बर-चार्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करें।	बार-चार्ट के अनुसार प्रस्तावित मार्ग से पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में पेज नं० 2 से 9 तक एवं पेज नं० 27 पर संलग्न कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न करें एवं प्रपत्रों को क्रमवार लगाकर विषय सूची में पेज संख्या भी अंकित कर संलग्न करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों की विषय सूची संलग्न कर दिये गये हैं। प्रपत्रों को क्रमवार सूची से पेज संख्या सही तरह से अंकित कर संलग्न कर दिया गया है।
15	मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को प्रमाणित कर लगाया जाय।	मूल प्रति में संलग्न छायाप्रतियों को प्रमाणित कर दिया गया है।

उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियां यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।